

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सरगुजा, अम्बिकापुर (छोगो)

—:: आदेश ::—

क्रमांक / 146 / एस डब्ल्यू / 2020

अम्बिकापुर दिनांक 19 / 09 / 2020

सरगुजा जिले में आज दिनांक तक 1663 एवं नगर पालिक निगम अम्बिकापुर क्षेत्रान्तर्गत 1386 से अधिक कोरोना वायरस (COVID-19) पॉजिटिव मरीजों की पहचान हो चुकी है तथा प्रतिदिन लगभग 50–70 पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम हेतु लगातार प्रयासों के बावजूद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसी दशा में कोरोना वायरस (COVID-19) की रोकथाम एवं चेन को तोड़ने हेतु नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेज एकट 1897 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सरगुजा निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूँः—

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 नगर पालिक निगम अम्बिकापुर क्षेत्र में दिनांक 21.09.2020 रात्रि 09:00 बजे से 28.09.2020 के रात्रि 12:00 बजे की अवधि हेतु लागू की जाती है तथा नगर पालिक निगम क्षेत्र अम्बिकापुर अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है।
2. उपरोक्त दर्शित अवधि में नगर पालिक निगम क्षेत्र अम्बिकापुर की संपूर्ण सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी।
3. उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मरीज एवं मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलिवरी व्यवस्था को प्राथमिकता देंगे।
4. पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहनों व शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, मेडिकल इमरजेन्सी से संवंधित निजी वाहन / एम्बुलेंस तथा एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहनों को ही पी.ओ.एल. प्रदाय किया जावेगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिवंधित रहेगा।
5. दुग्ध पार्लर व वितरण की समयावधि प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 08:00 बजे तक एवं संध्या 05:00 बजे से संध्या 07:00 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान/पार्लर उपरोक्त समयावधि के अलावा नहीं खोले जायेंगे तथा दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टैंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करते हुये उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी।
6. पैट शॉप/एकवेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 08:00 बजे तक एवं संध्या 05:00 बजे से संध्या 06:30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी।
7. एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर की एजेंसियों केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहुँच सेवा उपलब्ध करायेंगे।
8. औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (Onsite) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी।


क्रमांक: 02

9. उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण नगर पालिक निगम अम्बिकापुर क्षेत्रान्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी।
10. सभी धार्मिक सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।
11. उपरोक्त अवधि में नगर पालिक निगम अम्बिकापुर अंतर्गत सभी केन्द्रीय/शासकीय/अद्वशासकीय एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे।
12. सभी प्रकार की सभा, जुलुस, आयोजन आदि प्रतिबंधित रहेंगे।
13. होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड पॉजिटिव मरीजों को भोजन की समस्या उत्पन्न होने पर कोविड केयर सेंटर आवश्यकतानुसार भेजा जावेगा। आपात स्थिति में मोबाइल नंबर 7999647868, 9770527199, 9340764699, 9340711176 में आवश्यकतानुसार संपर्क किया जा सकता है।
14. कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु नगर पालिक निगम अम्बिकापुर में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एकिटव सर्विलांस, होम आइसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इस कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे।
15. अपरिहार्य परिस्थितियों में नगर पालिक निगम अम्बिकापुर क्षेत्र से अन्यत्र जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।
16. आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं 02 पहिया वाहन में केवल 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
17. मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फाम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
18. यह आदेश कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधिनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि तथा अग्निशमन सेवायें भी शामिल हैं। इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

उपरोक्त बिन्दुओं का छोड़कर नगर पालिक निगम अम्बिकापुर क्षेत्रान्तर्गत समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


 (संजीव कुमार झा)
 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
 सरगुजा अम्बिकापुर

(3)

पृ० क्रमांक / 147 / एस०डब्ल्य० / 2020

प्रतिलिपि:-

अम्बिकापुर, दिनांक 19 / 09 / 2020

1. अपर मुख्य सचिव, छ०ग० शासन, गृह (पुलिस) विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. सचिव, छ०ग० शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. आयुक्त सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर।
4. पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा रेंज, अम्बिकापुर।
5. पुलिस अधीक्षक, सरगुजा, अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी जिला सरगुजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सरगुजा, अम्बिकापुर।
8. आयुक्त, नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर जिला सरगुजा।
9. तहसीलदार / नायब तहसीलदार, सर्व जिला सरगुजा।
10. सहायक संचालक, जन सम्पर्क, अम्बिकापुर को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रकाशनार्थ।
11. सर्व कार्यालय प्रमुख को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
 सरगुजा अम्बिकापुर